लिसा गिल से पहले, जे।

गोपी राम और एक अन्य-अपीलार्थी

बनाम

बाज अलियांज सामान्य बीमा कंपनी -सीमित-उत्तरदाता

2014 का एफ. ए. ओ. सं. 9052

11 दिसंबर, 2018

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166-दुर्घटना-ट्रेलर/ट्रॉली ट्रैक्टर से जुड़ा बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है-जब तक कि एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है-न्यायाधिकरण का निष्कर्ष अलग रखा गया-बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

अभिनिर्धारित कि विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन दुर्घटना 22.10.2013 पर उसके चालक गोपी राम द्वारा पंजीकरण संख्या HR 35F 9453 वाले आपत्तिजनक ट्रैक्टर के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। विद्वत न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से अधिनिर्णय की वास्तविक प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष 7.5percent की दर से ब्याज के साथ 2,09,000 रुपये की राशि प्रदान की।मृतक की आय 4,500 रुपये प्रति माह आंकी गई थी।50 प्रतिशत की कटौती की गई क्योंकि वह कुंवारा था।अपीलार्थी के पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए 07 का गुणक लागू किया गया था।इसके अतिरिक्त, अंतिम संस्कार के खर्च और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की राशि के अलावा रुपये 1,00,000 प्यार और स्नेह की हानि के कारण की राशि प्रदान की गई।अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील जो कि उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और चालक हैं, जोरदार तर्क देते हैं कि विद्वत न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से वर्तमान अपीलार्थियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, हालांकि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा कंपनी के साथ विधिवत बीमा किया गया था।

(पैरा 5)

आगे अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा 4,500 रुपये प्रति माह के रूप में निर्धारित मृतक की आय गलत है क्योंकि वह 12,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा है।इसके अलावा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 2017 4 आर. सी. आर. सिविल 1009 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, भविष्य की संभावनाओं के कारण 40 प्रतिशत की दर से वेतन वृद्धि का खर्च वहन किया जाना चाहिए।18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था।विद्वान वकील निष्पक्ष रूप से कहते हैं कि प्यार और स्नेह के नुकसान के कारण मुआवजा को फिर से निर्धारित किया जाए। इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि दावेदारों को दिए गए मुआवजे पर तदनुसार फिर से निर्धारित किया जाए।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया गया है जो आगे कोई वृद्धि नहीं करने का आह्वान करता है।इस प्रकार, 21.05.2014 दिनांकित विवादित अधिनिर्णय को बरकरार रखा जाए।

(पैरा 8)

पी आर यादव, अधिवक्ता
अपीलार्थियों के लिए (एफएओ-9052-2014 में)
प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए (एफ. ए. ओ.-6129-2014 में)

अश्विनी तलवार, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए (एफ. ए. ओ.-9052-2014 में)
प्रतिवादी संख्या 3 के लिए (एफ. ए. ओ.-6129-2014 में)

लोकेश शर्मा, अधिवक्ता
अश्विनी भारद्वाज, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण संख्या 2 और 3 के लिए (एफएओ-9052-2014 में)
अपीलार्थियों के लिए (एफएओ-6129-2014 में)

लिसा गिल, जे।

(1) यह निर्णय 2014 के एफ. ए. ओ. सं. 6129 (सोमदत्त और एक अन्य बनाम गोपी राम और अन्य) और 2014 के एफ. ए. ओ. सं. 9052 (गोपी राम और एक अन्य बनाम बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) का निपटारा करेगा, जो ज्ञात

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, नारनौल (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होता है।

(2) 2014 का एफ. ए. ओ. सं. 9052 उल्लंघनकारी वाहन के चालक और मालिक द्वारा इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने के उनके दायित्व को चुनौती देते हुए दायर किया गया है।

(3) 2014 का एफ. ए. ओ. सं. 6129 दावेदारों द्वारा अनिल कुमार की मृत्यु के कारण विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए दायर किया गया है।

(4) मामले के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दावेदारों यानी मृतक के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग की याचिका दायर की है जिसमें अनिल कुमार की मृत्यु दिनांक 23/10/2013 को मोटर वाहन दुर्घटना जोकि गोपी राम द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से ट्रैक्टर एचआर-35 एफ-9453 चलाने के कारण हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि अनिल कुमार मोहिंदरगढ़ से उनके गाँव फतेहपुर की ओर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे।जब वह नहर के पास अहिरवाला कॉलेज के पास पहुंचा तो उल्लंघन वाहन ट्रैक्टर पंजीकरण संख्या डी. आई. जी.-5427 ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।इसके परिणामस्वरूप, अनिल कुमार को गंभीर रूप से घातक चोटें आईं।उन्हें सरकारी अस्पताल, मंडी अटेली में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद सरकारी अस्पताल, नारनौल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 23.10.2013 पर दम तोड़ दिया।दुर्घटना के समय मृतक की आयु 20 वर्ष बताई गई थी और वह रु 12,000/- प्रति माह टाइल ट्रेसिंग और डायरी फार्मिंग का काम करते हुए कमाता था।

(5) न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए कहा कि विचाराधीन दुर्घटना 22.10.2013 चालक-गोपी राम द्वारा पंजीकरण No.HR-35F-9453 वाले आपत्तिजनक ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। लर्नड ट्रिब्यूनल ने रुपये 2,09,000- की राशि का आदेश दिया। 2,09,000-दावा याचिका दायर करने की तारीख से अधिनिर्णय की वास्तविक प्राप्ति की तारीख तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।मृतक की आय का अनुमान रु। 4, 500/- प्रति माह। 50 प्रतिशत की कटौती की गई क्योंकि वह कुंवारा था।अपीलार्थी के पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए 07 का गुणक लागू किया गया था।इसके अलावा,1,00,000-रुपये की राशि प्यार और स्नेह की हानि के कारण अधिनिर्णय किया गया था। 10, 000/- अंतिम संस्कार के खर्च और अंतिम संस्कार के लिए।अपीलार्थियों के विद्वान वकील यानी उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और चालक का जोरदार तर्क है कि विद्वत

न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से वर्तमान अपीलार्थियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, हालांकि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा कंपनी के साथ विधिवत बीमा किया गया था।

(6) मुआवजे की मात्रा से आहत दावेदारों ने यह अपील दायर की है।

(7) अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मृतक की आय रु। विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा प्रति माह 4,500/- मानी गई है। जो गलत है क्योंकि वह रुपये 12, 000/- प्रति माह कमाने वाले राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था। इसके अलावा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं के कारण वेतन वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए।18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था।विद्वान वकील निष्पक्ष रूप से कहते हैं कि प्यार और स्नेह के नुकसान के कारण मुआवजे पर फिर से काम किया जा सकता है।इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि दावेदारों को दिए गए मुआवजे पर तदनुसार फिर से काम किया जाए।

(8) उत्तरदाता के लिए विद्वान सलाहकार-बीमा कंपनी प्रस्तुत करता है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया गया है जो आगे कोई वृद्धि नहीं करने का आह्वान करता है।इस प्रकार, 21.05.2014 दिनांकित विवादित अधिनिर्णय को बरकरार रखा जाए।

(9) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उपलब्ध फाइल को देखा है।

(10) इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अनिल कुमार ने एक मोटर वाहन दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, जो 22.10.2013 को गोपी राम द्वारा संचालित ट्रैक्टर के पंजीकरण No.HR-35F-9453 को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। इस मुद्दे पर विद्वत न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को अंतिम रूप मिल गया है।

(11) यह रिकॉर्ड की बात है कि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 20 वर्ष थी। दावा किया जाता है कि वह एक कुशल राजमिस्त्री है जो टाइल ट्रेसिंग और डेयरी फार्मिंग में लगा हुआ है, इस प्रकार वह रु। 12, 000/- प्रति माह कमाता था। हालाँकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मृतक अनिल कुमार 12, 000/- प्रति माह रुपये कमा रहे थे।साथ ही, यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्ष 2013 में हरियाणा राज्य में एक अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भी रु। 5341/- प्रति माह थी।इस प्रकार, विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आकलन करने में गलती की है। 4500/- प्रति माह।तदनुसार, मृतक की आय रु।

5, 350/- प्रति माह होनी थी।प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के कारण 40 प्रतिशत 2140/- की दर से वृद्धि हुई है। क्योंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 20 वर्ष थी, जिससे मृतक की आय रु 7490/- प्रति माह।सरला वर्मा (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, 50 प्रतिशत कटौती सही ढंग से लागू की गई है क्योंकि मृतक कुंवारा था, जिससे मृतक की आय रु। 3745/- (7477-3745)।मुन्ना लाल जैन बनाम विपिन कुमार शर्मा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए मृतक की आयु 20 वर्ष होने पर 18 का गुणक लागू किया जाना आवश्यक है।18 के गुणक को लागू करते हुए, दावेदारों की निर्भरता का आकलन रु। 8,08,920/- (रु. 3745 x 12x18)।दावेदार अंतिम संस्कार के खर्च और संपत्ति के नुकसान के लिए भी रुपये 15, 000/- के हकदार हैं।

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सिविल) के निर्णय के संदर्भ में

2018 का अपील सं. 9581), अपीलार्थी अर्थात मृतक के माता-पिता रुपये 40, 000/-के हकदार हैं बजाय 1,00,000 माता-पिता के संघ के नुकसान के कारण। दावेदार इस प्रकार 9,18,920/- रुपये के कुल मुआवजे का हकदार। 9,18,920/- नीचे के रूप में विस्तृत हैः-

निर्भरता का नुकसान (रु। 3745 x 12 x 8)	रु. 8,08,920 -
माता-पिता के संघ का नुकसान (40,000 x 2)	रु. 80, 000/-
संपत्ति का नुकसान	रु. 15, 000/-
अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 15, 000/-
कुल	रु. 9,18,920 -

(12) कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थियों को पहले से ही दिए गए मुआवजे की राशि, उपरोक्त गणना की गई राशि से काट ली जाएगी।याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक बढ़ी हुई राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

(13) दावेदारों के बीच मुआवजे की राशि का विभाजन उसी अनुपात में होगा जो विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।दावेदारों को मुआवजे की राशि के वितरण के तरीके के संबंध में न्यायाधिकरण के निर्देश सुनिश्चित होंगे।

के एफ. ए. ओ. सं. 9052 2014

(14) विद्वान न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और चालक द्वारा रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस (Ex.PW2/B) को वैध लाइसेंस नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका चालक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन को नहीं चला सकता है।विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का एक बुनियादी उल्लंघन है, इसलिए, बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया था।

(15) अपीलार्थियों के विद्वान वकील यानी उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और चालक का जोरदार तर्क है कि विद्वत न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से वर्तमान अपीलार्थियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, हालांकि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा कंपनी के साथ विधिवत बीमा किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।बीमा कंपनी इसे साबित करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रही है।इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि बीमा कंपनी को इस आधार पर उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि ट्रेलर/ट्रॉली को ट्रैक्टर के साथ जोड़ा गया था।यह बीमा कंपनी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि/व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

(16) समान तीव्रता के साथ बीमा कंपनी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि बीमा कंपनी को इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह केवल ट्रैक्टर है जिसका बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जाता है न कि ट्रॉली।इसके अलावा, यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग छोटे पत्थरों (रोहरी) को ले जाने के लिए किया जा रहा था और इस प्रकार, इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है पप्पु और अन्य बनाम विनोद कुमार लांबा और अन्य प्रस्तुत करने के लिए कि चालक और मालिक द्वारा मूलभूत तथ्यों का अनुरोध या साबित नहीं किया गया है, इसलिए, बीमा कंपनी को अपने दायित्व से

उचित रूप से मुक्त कर दिया गया है।अतः यह प्रार्थना की जाती है कि इस अपील को खारिज कर दिया जाए।

(17) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी (कानूनी) आर. डब्ल्यू. 4 गौरव पाराशर की गवाही पर बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है ताकि यह आग्रह किया जा सके कि छोटे पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।मैंने आर. डब्ल्यू. 4 द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामे (Ex.RW4/F) के साथ-साथ उनकी प्रतिपरीक्षा भी देखी है।शपथ पत्र में (Ex.RW4/F), आर. डब्ल्यू. 4 द्वारा यह कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शी पी. डब्ल्यू. 3 के अनुसार, ट्रैक्टर ट्रॉली छोटे पत्थरों से भरी हुई थी, इसलिए, आर. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।उन्होंने कहा कि ट्रॉली का बीमा बीमा कंपनी के पास नहीं था। जिरह में, आर. डब्ल्यू. 4 गौरव पाराशर ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि वह यह नहीं कह सकते कि ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाए गए सामान और वस्तुओं का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जा रहा था या नहीं और यह आगे स्वीकार किया जाता है कि प्रीमियम का विवरण विभाजित नहीं किया गया है।

(18) वास्तव में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।केवल इस बल पर कि ट्रॉली छोटे पत्थरों (रोहरी) से भरी हुई थी, इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना किसी भी तरह से उचित नहीं है।रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।फहीम अहमान और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना गया कि केवल इसलिए कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत ले जा रही थी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि ट्रैक्टर का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।उस मामले में बीमा कंपनी को यह मानते हुए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था कि पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।फहीम अहमद के मामले (ऊपर) में यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा कंपनी को न केवल पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का अनुरोध करना है, बल्कि उसी के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य पेश करके भी इसकी पुष्टि करनी है।वर्तमान मामले में, हालांकि यह अनुरोध किया गया है बीमा कंपनी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है।इस प्रकार, वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में पप्पु (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा।माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लाभप्रद रूप से दिया जा

सकता है लखमी चंद बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इस हद तक कि बीमा पॉलिसी के उल्लंघन और दुर्घटना के साथ इसके कारण संबंध को बीमाकर्ता द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

(19) बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में आगे कोई योग्यता नहीं है कि चूंकि ट्रैक्टर के साथ एक ट्रॉली जुड़ी हुई थी, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।केवल यह तथ्य कि ट्रेलर/ट्रॉली को ट्रैक्टर से जोड़ा गया था, बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में नागशेट्टी बनाम संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

(20) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस पहलू पर विद्वत न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने और दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(21) एफ. ए. ओ. सं. 9052-2014, तदनुसार, अनुमत है और मुआवजे की राशि में संशोधन के साथ, एफ. ए. ओ.-6129-2014 का निपटान किया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेशय के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीता शर्मा
अनुवादक